METRO COLLEGE
OF HEALTH SCIENCES & RESEARCH
(A Unit of Society of Metro Group For Education & Medical Research)

प्रारुप

क्र0स0	संस्थान का नाम/कोड	संस्थान की वेबसाइट	संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम जिनका समिति द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया है।	समिति/शासन द्वारा पाठ्यक्रमवार निर्धारित शुल्क (रु में)	संस्थान द्वारा अधिकृत वेबसाइट पर पाठ्यक्रमवार फीस अपलोड की धनराशि (रु में)
1	Metro College of Health Sciences and Research, Greater Noida College Code-852	**https://www.metrocollege.in/pharmacy/college_fees.php**	M. Pharma (Master of Pharmacy)	68,750/-	प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 4699/प्र0फी0नि0स0/2022 दिनांक 19 सितम्बर 2022 एवं 3439/प्र0फी0नि0स0/2022 दिनांक 01 सितम्बर 2022
2	Metro College of Health Sciences and Research, Greater Noida College Code-852	**https://www.metrocollege.in/pharmacy/college_fees.php**	B. Pharma (Bachelor of Pharmacy)	63,300/-	
3	Metro College of Health Sciences and Research, Greater Noida College Code-1668	**https://www.metrocollege.in/pharmacy/college_fees.php**	D. Pharma (Diploma in Pharmacy)	45,000/-	

प्रधानाचार्य

Principal
Metro College of Health Science and Research
Plot No-41, Knowledge Park-III, Greater Noida,
Gautam Budh Nagar U.P

उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1.
संख्या- 353270 **/2023/16-1099/1124/20199(part-1)**
लखनऊ दिनांक 21 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली-2008 की धारा-3 (1) अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5-(डब्लू-48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उ0प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन विनियमावली-2015 निर्गत की गयी। उक्त विनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं में समिति द्वारा वर्ष 2017-18 (एक वर्ष) हेतु मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (कुल तीन वर्षो) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया तथा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्षो) के लिए मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल तीन वर्षो) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया।

3. उल्लेखनीय है कि प्रवेश और फीस नियमन समिति उ0प्र0, प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या- 5104/प्र0फी0नि0स0 /2023, दिनांक 17.06.2023 द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की समस्त डिग्री/डिप्लोमा एवं सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24,2024-25 एवं 2025-26 (तीन वर्ष) के लिये मानक शुल्क निर्धारित किया गया है।

4- शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु मानक शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में पुनः विश्लेषण हेतु दिनांक 12.07.2023 को आहूत बैठक मे समिति द्वारा जनमानस की परेशानियों, छात्रहित/जनहित/छात्र-छात्राओं/अभिभावकों द्वारा मानक शुल्क में बढ़ोत्तरी न किये जाने के अनुरोध, कोविड-19 महामारी के

कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों से अधिकांश अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने एवं 'शिक्षा का व्यावसायिकरण सम्बन्धी जाँच समिति' द्वारा की गयी अपेक्षा को ध्यान में रखकर समिति कार्यालय द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी आदेश संख्या-5104/प्र0फी0नि0स0/2023 दिनांक 17.06.2023 को एतदद्वारा निरस्त करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में निर्धारित मानक शुल्क व शासन द्वारा वर्ष 2022-23 के लिये पूर्व निर्धारित मानक शुल्क को ही वर्ष 2023-24 (एक वर्ष) हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

5. उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (तीन वर्ष) तथा वर्ष 2018-19 में सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्ष) के लिए जिन संस्थानों का मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया था, उन संस्थानों हेतु शासन द्वारा पूर्व वर्ष 2022-23 की भांति शैक्षणिक वर्ष 2023-24 (एक वर्ष) के लिए पूर्व में निर्धारित शुल्क ही प्रभावी होगा।

Signed by कल्पना अवस्थी
Date: 20-07-2023 17:25:56
Reason: Approved
(कल्पना अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1.कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2.निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
3.सचिव,प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
4.विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, उत्तरप्रदेश शासन।
5.प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग।
6.सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी।
7.सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से सम्बंधित संस्थानों को अवगत कराये।
8.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्पना अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

Admission and Fee Regulatory Committee
Government of Uttar Pradesh

प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या- 4699 / प्र०फी०नि०स०/2022
लखनऊ दिनांक 19 सितम्बर , 2022
कार्यालय आदेश

852 - METRO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES & RESEARCH,GAUTAM BUDDH NAGAR आपके डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थान हेतु समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष) के लिए अनुमन्य करते हुए अधिनियम-2006 एवं विनियमावली-2015 के अनुपालन में समिति कार्यालय के, **आदेश संख्या-2877/प्र0फी0नि0स0/2022 दिनांक 23 जून, 2022** द्वारा शैक्षिक सत्र **2022-23** (एक वर्ष) के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया गया।

2. उक्त आदेश दिनांक **23 जून, 2022** के **बिन्दु-5** में दिये गये निर्देशानुसार संस्थान को समिति की अधिकृत वेवसाइट **www.afrcup2018.in** पर पंजीकरण करते हुए मानक शुल्क के सम्बन्ध में अपनी आनलाईन सहमति /असहमति व्यक्त करनी थी,परन्तु आपके संस्थान द्वारा मानक शुल्क को स्वीकार /अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नही की गयी ,जो यह दर्शाता है कि आपके संस्थान को समिति कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या-**2877/प्र0फी0नि0स0/2022 दिनांक 23 जून, 2022** द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है। उक्त आदेश दिनांक **23.06.2022 के बिन्दु-5** में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि "ऐसे संस्थान जिनके द्वारा न तो मानक शुल्क की सहमति प्रदान की गई और न ही मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण हेतु 30 दिन के अन्दर आवेदन/प्रत्यावेदन दिया है, उन संस्थानों के सम्बन्ध में यह मान लिया जायेगा कि उन्हें समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है।"

3.समिति कार्यालय के आदेश संख्या-**2877/प्र0फी0नि0स0/2022 दिनांक 23 जून, 2022** द्वारा **शैक्षिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष)** के लिए निर्धारित मानक शुल्क आपके संस्थान हेतु अनुमन्य किया जाता है, जो निम्नवत् हैः-

निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतुः-

क्रमांक	**पाठ्यक्रम का नाम**	**निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)**
01	बी0टेक0	55,000.00
02	बी0फार्मा0	63,300.00
03	बी0आर्की0	57,730.00
04	बी0एफ0ए0	85,250.00
05	बी0एफ0ए0डी0	85,250.00
06	बी0एच0एम0सी0टी0	70,000.00
07	एम0बी0ए0	59,700.00
08	एम0सी0ए0	55,000.00
09	एम0फार्मा0	68,750.00
10	एम0आर्की0	57,500.00
11	एम0टेक0	57,500.00
12	समस्त बी0 वोकेशनल पाठ्क्रमो हेतु	26,900.00
13	एम0बी0ए0 इन्ट्रीग्रेटेड पाठ्क्रमो हेतु	25,750.00

उपरोक्त निर्धारित फीस संस्था में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के संस्था से पाठ्यक्रम को पूर्ण करने तक प्रयोज्य होगी। इस प्रकार नियत फीस में छात्रावास फीस विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा फीस एवं काशनमनी की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार की फीस सम्मिलित होगी। समिति द्वारा अभिनिश्चित उक्त फीस ही ट्यूशन फीस के रूप में मान्य होगी।

4. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट **www.afrcup2018.in** पर प्रदर्शित है तथा संस्थान द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. विनियमावली-2015 के बिन्दु-10 में प्राविधानानुसार **"किसी भी संस्थान द्वारा समिति द्वारा नियत फीस से भिन्न कोई भी कैपिटेशन फीस छात्रों से नहीं लिया जायेगा।"** समिति को यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है या **अधिनियम-2006 विनियमावली-2015 में दिये गये व्यवस्था या सुसंगत शासनादेशों के किसी उपबन्ध का अतिक्रमण किया गया है तो समिति विनियमावली-2015 के बिन्दु-11 में दी गई व्यवस्थानुसार संस्थान के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति उपयुक्त सांविधिक निकाय/राज्य सरकार को करेगी।**

6. उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) **अधिनियम-2006 की धारा-4** के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरूद्ध अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण के गठन **आदेश संख्या-3393/सोलह-1-2009-5 (डब्लू-48)/2003 दिनांक** 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका है।

राजेश चन्द्रा
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
(1)कुलसचिव, डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
(2)उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 एवं 3, उ0 प्र0 शासन |-
(3)निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
(4)प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5)प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6)प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7)सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(8)गार्ड फाइल।

Digitally signed by RAJESH CHANDR (1)
Date:Wed Sep 21 17:21:52 IST 2022

आज्ञा से,
राजेश चन्द्रा
सचिव

Admission and Fee Regulatory Committee
Government of Uttar Pradesh

प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या- 3439 / प्र०फी०नि०स०/2022
लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर , 2022
कार्यालय आदेश

1668 - METRO COLLEGE OF HEALTH SCIENCE & RESEARCH, PLOT NO-41, KNOWLEDGE PARK-III, GREATER NOIDA, GAUTAMBUDDH NAGAR आपके डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण संस्थान हेतु समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष) के लिए अनुमन्य करते हुए अधिनियम-2006 एवं विनियमावली-2015 के अनुपालन में समिति कार्यालय के, **आदेश संख्या-2877/प्र0फी0नि0स0/2022 दिनांक 23 जून, 2022** द्वारा शैक्षिक सत्र **2022-23** (एक वर्ष) के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया गया।

2. उक्त आदेश दिनांक **23 जून, 2022** के **बिन्दु-5** में दिये गये निर्देशानुसार संस्थान को समिति की अधिकृत वेवसाइट **www.afrcup2018.in** पर पंजीकरण करते हुए मानक शुल्क के सम्बन्ध में अपनी आनलाईन सहमति /असहमति व्यक्त करनी थी,परन्तु आपके संस्थान द्वारा मानक शुल्क को स्वीकार /अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नही की गयी ,जो यह दर्शाता है कि आपके संस्थान को समिति कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या-**2877/प्र0फी0नि0स0/2022 दिनांक 23 जून, 2022** द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है। उक्त आदेश दिनांक **23.06.2022 के बिन्दु-5** में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि "ऐसे संस्थान जिनके द्वारा न तो मानक शुल्क की सहमति प्रदान की गई और न ही मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण हेतु 30 दिन के अन्दर आवेदन/प्रत्यावेदन दिया है, उन संस्थानों के सम्बन्ध में यह मान लिया जायेगा कि उन्हें समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है।"

3.समिति कार्यालय के आदेश संख्या-**2877/प्र0फी0नि0स0/2022 दिनांक 23 जून, 2022** द्वारा **शैक्षिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष)** के लिए निर्धारित मानक शुल्क आपके संस्थान हेतु अनुमन्य किया जाता है, जो निम्नवत् है:-

निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में तीन वर्षीय सभी पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम का शुल्कः-

क्रमांक	**पाठ्यक्रम का नाम**	**निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)**
01	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग	30,150.00
02	डी0फार्मा0	45,000.00
03	डी0आर्की0	30,250.00
04	डी0एच0एम0सी0टी0	31,300.00

निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में दो वर्षीय (डी0 फार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्कः-

क्रमांक	**पाठ्यक्रम का नाम**	**निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)**
01	दो वर्षीय एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी0 फार्मा0 के अतिरिक्त)	22,500

उपरोक्त निर्धारित फीस संस्था में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के संस्था से पाठ्यक्रम को पूर्ण करने तक प्रयोज्य होगी। इस प्रकार नियत फीस में छात्रावास फीस विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा फीस एवं काशनमनी की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार की फीस सम्मिलित होगी। समिति द्वारा अभिनिश्चित उक्त फीस ही ट्यूशन फीस के रूप में मान्य होगी।

4. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट **www.afrcup2018.in** पर प्रदर्शित है तथा संस्थान द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. विनियमावली-2015 के बिन्दु-10 में प्राविधानानुसार **"किसी भी संस्थान द्वारा समिति द्वारा नियत फीस से भिन्न कोई भी कैपिटेशन फीस छात्रों से नहीं लिया जायेगा।"** समिति को यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है या **अधिनियम-2006 विनियमावली-2015 में दिये गये व्यवस्था या सुसंगत शासनादेशों के किसी उपबन्ध का अतिक्रमण किया गया है तो समिति विनियमावली-2015 के बिन्दु-11 में दी गई व्यवस्थानुसार संस्थान के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति उपयुक्त सांविधिक निकाय/राज्य सरकार को करेगी।**

6. उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) **अधिनियम-2006 की धारा-4** के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरूद्ध अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण के गठन **आदेश संख्या-3393/सोलह-1-2009-5 (डब्लू-48)/2003 दिनांक 14.10.2009** द्वारा किया जा चुका है।

राजेश चन्द्रा
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
(1)निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
(2)उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 एवं 3, उ0प्र0 शासन।
(3)प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(4)संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
(5)प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6)प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7)प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8)सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(9)गार्ड फाइल।

Digitally signed by RAJESH CHANDR (1)
Date:Wed Sep 07 15:34:49 IST 2022

आज्ञा से,
राजेश चन्द्रा
सचिव